इकाई –VIII

अध्याय–18

उच्च न्यायालय

(High Court)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 तक राज्य न्यायपालिका से सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन कानून द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या दो से अधिक राज्यों व एक संघीय क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। भारत में प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति समय–समय पर आवश्यकतानुसार करता है। भारत में वर्तमान में 18 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं।

उच्च न्यायालय का गठन (Composition of High Court)

संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश (आवश्यकतानुसार) को नियुक्ति प्रदान करे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श अवश्य करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण कर सकता है। लेकिन तबादला करने से पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। यह निर्णय 1993 के न्यायाधीशों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिया था।

राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में अन्य नियुक्तियाँ करने का अधिकार भी प्राप्त है जैसे –

1. उच्च न्यायालय के बकाया कार्य को निपटाने के लिए दो वर्ष तक के लिए अस्थायी अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।
2. जब किसी उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश (मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न) अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहता है या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति इस तरह की नियुक्ति करने का अधिकार रखता है।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ (Qualification)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वे निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हों :

(i) वह भारत का नागरिक हो,

(ii) उसे जिला या सेशन जज के पद का कम से कम दस वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

अथवा

वह किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता (एडवोकेट) रह चुका हो।

कार्यकाल तथा पदच्युति (Tenure and dismissal)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसकी अयोग्यता अथवा कदाचार के आधार पर 62 वर्ष की आयु से भी पहले पदमुक्त किया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग–अलग 2/3 (दो–तिहाई) बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पदच्युत कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त अथवा अपदस्थ करने का तरीका भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही है।

वेतन–भत्ते (Salary and Allowances)

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रूपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रूपये मासिक

वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को निःशुल्क आवास, चिकित्सा तथा अन्य भत्ते दिये जाते हैं। सेवानिवृत्त होने पर संसद द्वारा समय–समय पर निश्चित की गई वार्षिक पेन्शन मिलती है। इनको वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है, इस पर राज्य की विधान परिषद अथवा कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होता।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of High Court)

भारत में उच्च न्यायालयों की स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरे स्थान पर आती है। उच्च न्यायालय किसी राज्य क्षेत्र का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के कार्य एवं क्षेत्राधिकार को निम्न शीर्षक के अन्तर्गत बाँटा जा सकता है :

(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

उच्च न्यायालयों को भी कुछ सीमा तक प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात् कुछ मुकदमें ऐसे हैं जिन्हें सीधे उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लाया जा सकता है जैसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मुकदमे उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में भी सुने जा सकते हैं। उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को बनाये रखने के आदेश दे सकता है।

इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के मुकदमे जो सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जैसे वसीयत, विवाह एवं तलाक, कम्पनी कानून के मामले, भूमि, कर तथा उससे वसूली सम्बन्धित मामले। उच्च न्यायालय की अवमानना सम्बन्धी मुकदमे भी उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि निचली अदालत द्वारा सुनाये गये मृत्युदण्ड को उच्च न्यायालय ही स्वीकृति प्रदान करता है।

मुम्बई, (बम्बई) चेन्नई (मद्रास) उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ईसाई व पारसियों की शादी व तलाक के मुकदमे प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सुने। संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार दिल्ली व हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय को 5 लाख या उससे अधिक सम्पत्ति के मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय चुनाव सम्बन्धी मुकदमों की भी सुनवाई कर सकता है। यदि उच्च न्यायालय को यह पता चल जाये कि चुनाव में किसी सदस्य ने धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार किया है तो वह चुनाव को रद्द कर सकता है।

(2) अपील क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

अपीलीय क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निचली अदालत द्वारा दिये गये दीवानी, फौजदारी और मालगुजारी सम्बन्धित निर्णयों के विरूद्ध अपील सुन सकता है। उच्च न्यायालय व्यापक अपीलीय न्यायालय है जो निचली अदालतों द्वारा दिये गये फैसलों के विरूद्ध अपील सुनता है।

(3) अभिलेख न्यायालय (Court of Record)

उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह अभिलेख न्यायालय है जो अपने सभी निर्णयों को अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखता है। राज्य के सभी अधिनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले को मानने के लिए बाध्य है। इसके फैसलों की अवहेलना करने पर किसी को भी दण्डित करने का अधिकार रखता है।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (Control over Subordinate Courts)

उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका के शीर्ष पर होने के नाते अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण इस तरह रखा जाता है, जैसे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन, पदोन्नति के मामले में राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा। जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसके अन्तर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के कार्मिकों और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों का पद स्थापन, पदोन्नति व अवकाश देना है, यह अधिकार उच्च न्यायालय में निहित है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति व भर्ती सम्बन्धी नियम स्वयं बनाता है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है।
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।

- राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में स्थित है, इसकी एक शाखा जयपुर में भी कार्यरत है।
- उच्च न्यायालय, राज्य का सबसे बडा अपीलीय न्यायालय भी है।
- मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिये जाते हैं।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रूपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रूपये मासिक वेतन मिलता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद स्वयं के कार्यरत न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय में वकालत शुरू कर सकते हैं।
- राज्य के किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये मृत्युदण्ड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा ही की जाती है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता – वह भारत का नागरिक हो, सत्र न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय में दस वर्ष तक वकील रह चुका हो।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहॉ स्थित है ?
   (अ) जयपुर (ब) जोधपुर
   (स) सवाईमाधोपुर (द) उदयपुर ( )
2. राजस्थान उच्च न्यायालय की शाखा कहां स्थित है ?
   (अ) बीकानेर (ब) जोधपुर
   (स) जयपुर (द) अलवर ( )
3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है ?
   (अ) 65 वर्ष (ब) 62 वर्ष
   (स) 60 वर्ष (द) 58 वर्ष ( )
4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है –
   (अ) प्रधानमंत्री द्वारा (ब) राष्ट्रपति द्वारा
   (स) मुख्यमंत्री द्वारा (द) केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा ( )
5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है –
   (अ) महाभियोग द्वारा (ब) राष्ट्रपति द्वारा
   (स) राज्यपाल द्वारा (द) मुख्यमंत्री द्वारा ( )
6. राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी ?
   (अ) 1949 (ब) 1950
   (स) 1947 (द) 1960 ( )

अति लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है।
2. संविधान के कौनसे अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है ?
3. उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है ?

4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन कहां से दिया जाता है ?

लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सन्दर्भ में राज्यपाल की क्या भूमिका है ?
2. राष्ट्रपति किसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकता है ?
3. उच्च न्यायालय में नियुक्ति के बारे में उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका है ?
4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनके पद से किस प्रकार हटाये जा सकते हैं ?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. उच्च न्यायालय के संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिये।
2. उच्च न्यायालय के कार्य एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिये।
3. उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाये रखने के उपायों का वर्णन कीजिये।

उत्तरमाला

1. ब 2. स 3. ब 4. ब 5. अ 6. अ